



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यवाहक कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक: 27/2025-26/सामान्य पत्राचार/28/323

दिनांक: 14.11.2025

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में वांछित जानकारी विद्यापीठों/विभागों/केंद्रों/अनुभाग/दूर शिक्षा निदेशालय/कार्यालयों से स्पष्ट रूप से प्रदान न किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 003/2003/का.आ./02-40/2020 दिनांक : 26/02/2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाओं का नियमानुसार उत्तर स्पष्ट रूप से पाँच दिनों के भीतर जन सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाए
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उपधारा 5(5) के तहत, जिस विभाग/इकाई से सूचना मांगी गई है उस इकाई का अधिकारी/प्रभारी बतौर जन सूचना अधिकारी कार्य करेगा।
3. सभी विभाग जन सूचना आवेदन का निपटान करने के लिए अनिवार्यतः समर्थ पोर्टल का उपयोग करें ताकि समय की बचत हो।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
14/11/25

प्रति (ईमेल द्वारा) :

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/ कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. संबंधित पत्रावली